दिनांक 07–02–2014 को श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के अन्तर्गत गठित राज्य **स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही:–**

उपस्थिति – पंजी के अनुसार

2– माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

सर्वप्रथम प्रधान सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ने राज्य सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सूचित किया कि आज की बैठक की कार्यावली एवं दिनांक 22.08.2013 की बैठक की कार्यवाही तथा अनुपालन प्रतिवेदन सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया है।

बैठक की कार्यवाही में किसी भी माननीय सदस्यों से संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नही है। अतः सर्वसम्मति से दिनांक:–22.08.2013 की बैठक की कार्यवाही सम्पुष्ट की गई।

कार्यावली बिन्दु संख्या–2

3– दिनांक 22.08.2013 की बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा के क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये/निदेश दिये गये:–

(क) आरक्षी महानिदेशक के स्तर पर ConvictionRatc में सुधार एवं लंबित मामलों (pending cases) में कमी के लिए बनाई गई कार्य योजना की समीक्षा

संयोजक–सह–प्रधान सचिव द्वारा सूचित किया गया कि पुलिस महानिदेशक के स्तर से सभी आरक्षी अधीक्षक को ConvictionRate में सुधार एवं लंबित मामलों (pending cases) में कमी के लिए बनाई गई कार्य योजना पर लगातार कार्य करने का निदेश दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि Conviction Rate में सुधार एवं लंबित मामलों (pending case) में कमी लाने के लिए नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा की जाय।पुलिस महानिदेशक कार्य योजना के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रत्येक माह सभी पुलिस अधीक्षक के साथ Video conference करे।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक)

(ख) नव सृजित "अनु0 जाति/अनु0 जनजाति विशेष थाना" में आधारभूत संरचना एवं अन्य संस्थानों की उपलब्धता की समीक्षा।

प्रधान सचिव, गृह विभाग ने समिति को सूचित किया कि गृह विभाग द्वारा नव सृजित "अनु0 जाति/अनु0 जनजाति विशेष थाना" में आधारभूत संरचना एवं अन्य संसाधनों के साथ अच्छे भवनों में संचालित हैं। कटिहार, नवगछिया, औरंगावाद, समस्तीपुर बक्सर, मोतीहारी, नालन्दा, सिवान अररिया एवं पूर्णियां में नव सृजित "अनु0 जाति/अनु0 जनजाति विशेष थाना" के भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है। राशि बिहार राज्य पुलिस भवन

निर्माण निगम को राशि उपलब्ध करायी गई है। साथ ही वाहन एवं फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया है।

माननीय अध्यक्ष, महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि सभी "अनु0 जाति/अनु0 जनजाति विशेष थाना" के भी भवनों का निर्माण शीघ्र कराया जाय।

(अनुपालन–गृह विभाग)

(ग) <u>अनुसूचित जाति/ जनजाति के सदस्यों के भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निरंतर अनुश्रवण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा गठित विशेष कोषांग के कार्यो की समीक्षा।</u>

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभागने सूचित किया कि विशेष कोषांग के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के बीच वितरित सरकारी भूमि से बेदखली मामलों के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर गठित कोर ग्रुप के कार्यो की समीक्षा की जाती है।

इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि भूमि विवाद के संबंधित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए एवं सुनिश्चित किया जाए कि इनका निष्पादन ससमय हो।

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

<u>कार्यावली बिन्दु संख्या–3</u>

4–<u>नोडल पदाधिकारी (प्रधान सचिव गृह विभाग) द्वारा नियम–9 के तहत नियम–4(2), नियम–4(4), नियम–6 एवं नियम–8 (XI) के अधीन किये गये कार्यो की समीक्षा।</u>

प्रधान सचिव, गृह विभाग ने बताया कि अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सचिव, विधि विभाग, महानिदेशक अभियोजन एवं पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग के साथ नियमावली–1995 के नियम–9 के आलोक में सभी सम्बंधित पदाधिकारियों की प्रत्येक तिमाही के अंत में समीक्षा की जा रही है। दिनांक–24.01.2014 को नोडल पदाधिकारी के रूप में समीक्षा की गई है।

इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि अधिनियम/नियम के आलोक में प्रधान सचिव, गृह विभाग Conviction Rate में सुधार, लंबित मामलों (pending cases) में कमी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विशेष थाना, विशेष पदाधिकारियों के कार्यो एवं राहत अनुदान, आदि की नियमित समीक्षा करें।

(अनुपालन–गृह विभाग)

पद पर शीघ्र बहाली के लिए सेवा नियमावली तैयार की जाए तथा नियुक्ति हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को नियमानुसार अधियाचना भेजी जाए।

(अनुपालन– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

कार्यादली बिन्दु संख्या–4

5–नियम–4 के तहत महानिदेशक अभियोजन के द्वारा विशेष लोक अभियोजकों के कार्यक्षमता (Performance Appraisal) की समीक्षा।

महानिदेशक अभियोजन ने सूचित किया कि विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों एवं कार्यक्षमता की समीक्षा की जाती है। समीक्षा के क्रम में शिवहर, पूर्णियां एवं वैशाली के विशेष लोक अभियोजकों का कार्य असंतोषजनक है। असंतोषजनक कार्य करने वाले विशेष लोक अभियोजकों को हटाने के लिए विधि विभाग से आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया जाएगा।

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि महानिदेशक, अभियोजन एवं विधि विभाग नियमित समीक्षा करें। वैसे विशेष लोक अभियोजक, जो अधिनियम/नियम के तहत संतोषजनक कार्य नहीं करते है, के जगह पर योग्य अधिवक्ता को कार्य का दायित्व दिया जाय।

(अनुपालन–विधि विभाग/महानिदेशक अभियोजन)

कार्यावली विन्दु संख्या–5

6–नियम–4(1) के अनुसार सचिव, विधि विभाग द्वारा विशेष लोक अभियोजकों के लिए जिलावार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नवीन पैनल तैयार करने एवं नियम–4(6) के अनुसार उनके उच्चतर दर पर फीस का निर्धारण/ भुगतान की समीक्षा।

सचिव, विधि विभाग ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के तहत दर्ज वादों के त्वरित निष्पादन के लिए पांच जिलो यथा, पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय एवं मजफ्फरपुर में अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Court) की स्थापना की स्वीकृति माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार के महानिबंधक से प्राप्त है। सामान्य प्रशासन विभाग से अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Courts) की स्थापना हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 1–1 पद कुल 5 पदों के सृजन का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि विधि विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग शीघ्र राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के सृजन की कार्रवाई की जाए।

पुनः माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि विधि विभाग विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों एवं कार्यक्षमता की समीक्षा की प्रक्रिया तैयार करे। नियम–4(6) के अनुसार विशेष लोक अभियोजकों का उच्चतर दर पर फीस का निर्धारण/भुगतान के संबंध में निम्न अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

(अनुपालन–विधि विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या–6

7–नियम–10 के अनुसार "विशेष अधिकारी" के कार्यों की समीक्षा।

प्रधान सचिव, गृह विभाग ने सूचित किया कि दिनांक–27/01/14 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आयोजित मासिक बैठक में अपर समाहर्त्ता की कार्यों की समीक्षा की गई। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि नियम–10 के तहत जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता स्तर के प्राधिकृत विशेष पदाधिकारियों एवं जिला कल्याण पदाधिकारियों को अधिनियम के आलोक में तुरंत राहत एव सुरक्षा के उपाय के प्रति जागरूक होने के लिए एक Awarness programme का आयोजन किया जाय।

इसके अलावा सभी जिला पदाधिकारियों से अधिनियम/नियम के तहत जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता स्तर के प्राधिकृत विशेष पदाधिकारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा करने का निदेश दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि मुख्य सचिव के स्तर पर प्रत्येक माह होनेवाले Video conference के माध्यम से जिला पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की जाय।

(अनुपालन–मुख्य सचिव/गृह विभाग/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या–7

8–पीड़ित व्यक्तियों को दी गयी राहत, यात्रा भत्ता और पुनर्वास सुविधाएं तथा उससे संबद्ध अन्य मामलों की समीक्षा

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में 587.58 लाख रूपये व्यय कर 859 पीड़ितों को लाभांवित किया गया है। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अंतिम आरोप पत्र समर्पित नहीं किये जाने से राहत राशि के भुगतान में विलंब होता है। हत्या/बलात्कार के मामले में आश्रित/ पीड़िता को 3000/– प्रति माह की दर से पेंशन देने की कार्रवाई की जा रही है। यात्रा भत्ता एवं अन्य विधिक सहायता भी दी जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि अत्याचार निवारण के मामलों में समय पर सभी प्रकार के राहत अनुदान की राशि पीड़ित/आश्रित को दी जाय।

हत्या/बलात्कार के मामले में आश्रित/पीड़िता को पेंशन देने की कार्रवाई ससमय की जाए। जिला स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा के लिए व्यवस्था करना चाहिए। राज्य स्तर पर लाभुक की सूचना संधारित की जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निदेश दिया गया पुलिस महानिरीक्षक, (क0 व0) के स्तर पर हत्या/बलात्कार के मामलें में पीड़ितों/आश्रितों को पेंशन देने के लिए लाभुकों की सूची तैयार की जाय।

(अनुपालन–सभी जिला पदाधिकारी/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ पुलिस महानिरीक्षक, (क0 व0))

कार्यावली बिन्दु संख्या–8

9–जिला स्तर पर गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के कार्यकलाप की समीक्षा

- प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने बताया कि सभी जिलों में नियम–17 के आलोक में जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की जाती है। वर्ष–2014 के लिए जिला स्तरीय सर्त्तकता एवं अनुश्रवण समिति की प्रत्येक तीन माह पर बैठक का रोस्टर निर्धारित कर सभी जिलों को संसूचित कर दी गई है:–

जनवरी–मार्च	1 से 15 फरवरी 2014 के बीच
अप्रैल–जून	1 से 15 मई 2014 के बीच
जुलाई–सितम्बर	1 से 15 अगस्त, 2014 के बीच
अक्टूबर–दिसम्बर	1 से 15 नवम्बर, 2014 के बीच।

अबतक 10 जिलों द्वारा चार से अधिक बैठक, 17 जिलों द्वारा तीन बैठक, 7 जिलों द्वारा दो बैठक एवं 4 जिला द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है।

इस संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा सुझाव दिया गया कि 1 से 15 नवम्बर, 2014 के बीच की तिथि में सुधार किया जाय क्योकि पर्व के समय सारे पदाधिकारी विधि व्यवस्था में लगे रहते है।

साथ ही निदेश दिया गया कि मुख्य सचिव के स्तर पर प्रत्येक माह होनेवाले Video conference के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की नियमित बैठक करे एवं इस अधिनियम/नियम के

तहत विशेष कार्य पदाधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजकों के कार्यक्षमता की समीक्षा की जाये।

(अनुपालन–मुख्य सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

<u>कार्यावली बिन्दु संख्या–9</u>

<u>10–भारत सरकार से नियम– 16 एवं 17 में संशोधन के प्रस्ताव पर विमर्श</u>

सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने बताया कि भारत सरकार के पत्रांक 11012/2/2008–पी.सी.आर. (डेस्क), दिनांक 18.11.2013 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम 2013 का प्राप्त है। निम्नांकित संशोधन प्राप्त है.–

(1) नियम–1995 के नियम–16 और 17 में केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन से अनधिक सामाजिक कार्यकर्त्ता–सदस्य के रूप में नामित किया जाना है।

(2) नियम–17 के आलोक में अनुमंडल स्तर पर भी अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के गठन किया जाना है।

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

<u>कार्यावली विन्दु संख्या–10</u>

<u>10–अन्यान्य</u>:–

(i) श्री उदय कुमार, अध्यक्ष राज्य महादलित आयोग, बिहार पटना ने निम्नलिखित बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया:–

(a) छबीलापुर थाना काण्ड सं0–290/2005 दिनांक–11.08.2005 में मृतक चौकीदार स्व0 रामवृक्ष मांझी, पत्थरौरा, राजगीर, नालन्दा को मुआवजा दी जाय।

(अनुपालन– पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग/ जिला पदाधिकारी नालन्दा)

(b) अनुमंडल राजगीर, जिला– नालन्दा के मौजा पंडितपुर थाना सं0–475 खाता सं0–186 खेसरा सं0–924 रकवा–0.40 एकड़ जमीन को महादलितों के वितरित जमीन की पुनः समीक्षा की जाय।

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(c) अनु0 जाति/अनु0 जनजाति थाना काण्ड सं0–10/14 एवं कोईलवर थाना काण्ड सं0–14/2014

(अनुपालन– पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(ii) श्री विद्यानन्द विकल, अध्यक्ष राज्य अनु0 जाति आयोग, बिहार पटना ने निम्नलिखित सुझाव एवं प्रस्ताव की ओर ध्यान आकृष्ट किया:–

(a) पटना खाजेकला थाना काण्ड सं0–144/13 में पीडित परिवार के आश्रित को मुआवजा नही मिला है।

(अनुपालन–पुलिस महानिरीक्षक(क0व0)

(b) नियम–7(2)1 के अनुसार अनु0 जाति और अनु0 जनजाति पर अत्याचार के मामले में अनुसंधान 30 दिनों के अन्दर किया जाय।

(अनुपालन–पुलिस महानिरीक्षक(क0व0)

(c) अनु0 जाति और अनु0 जनजाति पर अत्याचार (हत्या/बलात्कार) के मामले में पोस्टमार्टम एवं इंजूरी रिपोर्ट पुलिस, न्यायालय एवं पीडित को समय पर उपलब्ध कराने का निदेश सभी सिविल सर्जन को भेजा जाय।

(अनुपालन–पुलिस महानिरीक्षक(क0व0)

(d) पेंशन के लंबित मामलों को 15 दिनों के अन्दर निष्पादित करनें का निदेश सभी जिला पदाधिकारियों को भेजी जाय।

(अनुपालन–अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी)

(e) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Courts) यथा– पटना, गया, भागलपुर बेगूसराय एवं मुजफ्फरपुर में शीघ्र स्थापित किया जाय।

(विधि विभाग)

(f) राज्य सरकार न्यायालयों में लंबित हत्या/बलात्कार, भूमि विवाद सहित अन्य सभी गभ्भीर मामलों के स्पीडी ट्रायल कराने का निदेश सभी जिला समाहर्त्ता, पुलिस अधीक्षक एवं विशेष लोक अभियोजको को दिया जाना चाहिए।

(गृह विभाग/पुलिस महानिदेशक/विधि विभाग)

(g) समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना काण्ड संख्या–30/13 का पुन.पर्यवेक्षण कर निरस्त करने की प्रकिया प्रारम्भ किया जाय।

(h) मुजफ्फरपुर के करजा थाना काण्ड सं0–80/13 में पुनः पर्यवेक्षण कर निर्दोषों का नाम प्राथमिकी से हटानें की कार्रवाई प्रारम्भ की जाय।

(i) बोधगया थाना काण्ड सं0–35/13, 67/13 एवं 68/13 में साजिश के तहत नामजद किये गय महादलित विकास मित्र श्री अशोक कुमार मांझी (अमवॉ) का नाम प्राथमिकी से पर्यवेक्षण एवं जाचोपरांत हटायी जाय।

(j) भोजपुर के कोईलवर थाना काण्ड सं0–14/14 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाय।

(k) औरंगाबाद के रिसिअप थाना काण्ड स0–71/13 एवं नवीनगर थाना काण्ड सं0–71/13 के की गिरफ्तारी की जाय।

(अनुपालन–कमांक–(g) से (k) तक पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(m) नियम–10 के आलोक मे जिला स्तर पर अपर सनाहर्त्ता स्तर के प्राधिकृत विशेष पदाधिकारियों एवं जिला कल्याण पदाधिकारियों को अधिनियम के आलोक में तुरंत राहत एवं सुरक्षा के उपाय के प्रति जागरूक होने के लिए एक Awarness programme का आयोजन किया जाय।

(अनुपालन–गृह विभाग)

(n) जिला स्तरीय सतकर्त्ता एवं अुनश्रवण समितियों का पुर्नगठन किया जाय।

(अनुपालन–जिला पदाधिकारी)

(iii) श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0 द्वारा निम्नांकित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया:–

(a) मनिहारी (कटिहार) थाना काण्ड संख्या 151/13 दिनांक 02.08.2013 की पुनः समीक्षा वरीय पुलिस अधिकारी से करायी जाय।

(b) मनसाही (कटिहार) थाना काण्ड संख्या 25/13 दिनांक 26.04.2013 की पुनः समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–कमांक–(a) से (b) तक पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(c) कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत सीज न0–6,8, पुराना सीज केवाला महेशपुर सीज में जमीन का वास्तविक कब्जा दी जाय। जमीन का उपभोग दबंगों के द्वारा किया जा रहा है।

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/जिला पदाधिकारी कटिहार)

(d) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–1989 के तहत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राहत अनुदान समय पर दिया जाय।

(अनुपालन–अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/पुलिस महानिदेशक/ जिला पदाधिकारी)

(iv)–श्रीमती भागीरथी देवी, स0वि0स0 ने निम्नांकित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया:–

(a) प0 चम्पारण (बेतिया) जिला के प्रखण्ड– गौनाहा में बिहार सरकार द्वारा मौजा मंगुराहा में खाता 46 खेसरा–275 एवं 277 में कुल 108 डिस्मील भूमि श्री चन्द्रदेव राम एवं सुकदेप राम को राज्य सरकार द्वारा कब्जा दिलाया गया है। परन्तु स्थानीय प्रशासन द्वारा भूमि से बेदखल किया जा रहा है। इसकी जांच राज्य स्तर के पदाधिकारी से करायी जाय।

(अनुपालन– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / जिला पदाधिकारी प0 चम्पारण)

(v) श्री बाबूलाल टूडु, माननीय अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा निम्नांकित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया:–

(a) कटिहार महिला थाना काण्ड सं0–22 / 13।

(b) कोढा (कटिहार) थाना काण्ड सं0–224 / 13 ।

(अनुपालन–क्रमांक–(a) से (b) तक पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(vi) श्री संतोष कुमार निराला, माननीय सदस्य, स0वि0स0 द्वारा बक्सर जिला के राजुपर थाना काण्ड सं0–158 / 2013 में पीडित को मुआवजा देने अनुरोध किया गया ।

माननीय अध्यक्ष–सह–मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गये:–

(i) बैठक की कार्यवाही में अधिनियम / नियम से संबंधित विषयों को अंकित किया जाय। अन्य विषयों को संबंधित विभाग भेज दिया जाय।

(अनुपालन–अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(ii) मुख्य सचिव स्तर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जिला पदाधिकारियों के साथ अधिनियम / नियम के प्रत्येक बिन्दुओं की समीक्षा की जाय।

(अनुपालन– मुख्य सचिव)

(iii) विशेष लोक अभियोजको के कार्यकलापों की समीक्षा हो। जो अच्छा काम नही कर रहे है। उन्हे हटाकर नये अधिवक्ताओं को दायित्व सौंपा जाय।

(अनुपालन–महानिदेशक अभियोजन / विधि विभाग)

(iv) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति अत्याचार अधिनियम से संबंधित मामलों एवं अन्य मामलों में जख्म प्रतिवेदन (injury report) काफी विलंब से मिलने एवं उसके कारण कानूनी कार्रवाई में अड़चन / विलंब होने के संबंध में विस्तृत विमर्श हुआ। इस क्रम में माननीय अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि मुख्य सचिव इस पूरे मसले पर पुलिस महानिदेशक, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, प्रधान सचिव, गृह विभाग, प्रधान सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति

कल्याण विभाग, सचिव, विधि विभाग, एवं पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग के संयुक्त बैठक आयोजित कर जख्म प्रतिवेदन (injury report) निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत निगत करने के लिए मार्ग–निर्देशिका (Guideline) तैयार कराने की कारवाइ करें।

(अनुपालन– मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक/स्वास्थ्य विभाग)

अन्त में संयोजक–सह–प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(के0 पी0 रामैया)
प्रधान सचिव
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13 422 पटना, दिनांक– 26/2/14

प्रतिलिपि– माननीय सांसद/माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, सदस्य राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

422 सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13पटना, दिनांक– 26/2/14

प्रतिलिपि– सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय,बिहार/आप्त सचिव, वित्त मंत्री /आप्त सचिव, गृह मंत्री/आप्त सचिव, मंत्री अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण/आप्त सचिव, विधि मंत्री/आप्त सचिव, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13पटना, दिनांक– 26/2/14

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार/पुलिस महानिरीक्षक(कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

422 सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13पटना, दिनांक– 26/2/14

प्रतिलिपि– सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव,/विधि विभाग, बिहार, पटना/गृह (आरक्षी)विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आरक्षी उप निरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग/महानिदेशक, अभियोजन/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,/निदेशक, आई0सी0डी0एस0/निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी उप निदेशक, कल्याण एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13 422 पटना, दिनांक– 26/2/14

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

422 सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13पटना, दिनांक– 26/2/14

प्रतिलिपि– निदेशक, राष्ट्रीय अनु0 जाति/जनजाति आयोग, 189,बी श्रीकृष्णापुरी, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, राज्य महादलित आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव